खारीज
11.7.2024

2024/385

फर्द अहकाम

(नियम 15)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ

हनुमानदास बनाम इकबाल मोहम्मद आदि

वाद अन्तर्गत धारा 53,188 आर.टी.एक्ट प्रकरण संख्या 289 वर्ष 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
27.06.2024	वकील वादी द्वारा यह वाद पत्र पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के वाद वादी दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किया जाकर पत्रावली आईन्दा 26.07.2024 को पेश हो।	
11.07.2024	वकील वादी ने प्रार्थना पत्र निशान पेश पेश करने पर पत्रावली को पेशी में लिया गया वकील वादी ने निवेदन किया कि वाद पत्र में संशोधन होने के कारण वाद-पत्र आगे नहीं चलाना चाहते है। मौजूदा स्थिति में खारीज करवाना चाहते है। अतः वाद-पत्र मौजूदा स्थिति में खारीज किया जाता है। पत्रावली नस्ल में करने की प्रार्थना वकील तामील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।	शफीनामा होने के कारण आगे कोई कार्यवाही नहीं बनती है। सहायक कलक्टर 11/7/24

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रावतसर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2024.07.22 10:17:05 IST
Reason: SelfAttested